न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—200 / 2021 / 225आर.टी.एक्ट (2021 / 200)

1. लक्ष्मीदेवी पुत्री वेणासिंह पत्नि कानसिंह आयु 38 वर्ष जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर हाल निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर।
2. पूजा पुत्री वेणासिंह पत्नि जयसिंह आयु 24 वर्ष जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर हाल निवासी गोडियावास तहसील व जिला अजमेर
3. चुकी पुत्री वेणासिंह पत्नि हनुमानसिंह आयु 21 वर्ष जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी बडलिया तहसील व जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. हीरी उर्फ सोहनी पुत्री मेवा पौत्री मेन्दू जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
2. करमा पुत्री मेवा पौत्री मेन्दू जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
3. मेवा पुत्र मेन्दू जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
4. भगवानसिंह पुत्र मेवा जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
5. हीरासिंह पुत्र मेवा जाति रावत जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
6. उप—पंजीयक अधिकारी, श्रीनगर कार्यालय उपतहसील श्रीनगर जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद, जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08. 2021 ,प्रकरण संख्या 101 / 2019,

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्र रावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 व 5.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 06,07.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 04 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—23.08.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 101/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम फारकिया में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी पुश्तैनी भूमि स्थित है जिसके वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 362/317 खसरा नं. 195, 195, 200/3390, 201, 202, 1005, 1006, 1012, 1013, 1013/3369, 1014, 1015, 1016, 1800, 1801, 1809, 989 रकबा 0.49, 0.42, 0.04, 0.04, 0.12, 0.03, 0.09, 0. 11, 0.29, 0.31, 0.01, 0.21, 0.27, 0.40, 0.03, 0.20, 0.30, 0.08 खाता संख्या 361/316 खसरा नं. 196, 197, 198, 203, 1810, 1811, 1812, 1813, 1819, 1820, 1822, 1829, 1869 रकबा 0.06, 0.24, 0.19, 0.49, 0.30, 0.17, 0.27, 0.31, 0.24, 0.32, 0.44, 0.09 हैक्टर है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के दादा मेन्दू पुत्र भूरा की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात थी। जिसको अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थीगण की माता के फौत होने के पश्चात 9.12.2019 एवं 20.12.2019 को किया गया दान पत्र प्रार्थीगण के हितों पर बातिल एवं बेअसर है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता मेवा पुत्र मेन्दू की खातेदारी की थी जिसको अप्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकार के उपरोक्त भूमि का दान—पत्र करवा लिया। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना हेतु निवेदन किया की प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि से महरूम नहीं करें तथा ना ही कब्जा काश्त में दखल करें एवं बय, बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जिसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 03 से 05 की ओर जवाब प्रार्थना—पत्र पेश किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अप्रार्थी/अपीलांट ने यह न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2021 को पारित करते समय अप्रार्थीगण संख्या 3 से 05 के पक्ष में भूमि का हस्तातंरण तत्कालीन खातेदार द्वारा दान—पत्र के रूप में किया गया तथा दान—पत्र उप—पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराया गया को नजरंअदाज कर दस्तावेज व तथ्यों की अनदेखी करते हुए विवादित आदेश पारित किया गया है। दावाकृत भूमि का दानपत्र अप्रार्थीगण संख्या 03 से 05 के पक्ष में निष्पादित होने से दान—पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होने से प्रार्थना—पत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से विधि विरूद्ध होने से

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज होने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2021 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 03 व 05 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र निवेदन किया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्टस के पिता मेवा पुत्र मेन्दू के खातेदारी में चली आ रही थी जिसका अपीलांट ने दान–पत्र करवा लिया जिसका की कानूनन उन्हे कोई अधिकार नही था एवं उपरोक्त भूमि में रेस्पोडेन्टस के दादा मेन्दू पुत्र भूरा की पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात थी इसलिए उनका हक अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायीं निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किये है। अपीलांट का विवादित आराजी बाबत् कोई अधिकार व हिस्सा निहित नहीं होता है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमावें जावें।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट संख्या 01से 03 के पक्ष में दान–पत्र करते हुए उप–पंजीयन कराया गया तथा दान–पत्र दस्तावेज को किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। उक्त दान–पत्र से अपीलांटस को भूमि के सभी अधिकार प्राप्त होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण में निहित है। किसी व्यक्ति का विवादग्रस्त भूमि पर क्या अधिकार है यह तो वाद में साक्ष्य व सुनवाई तय होगें लेंकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस के पक्ष में किस प्रकार बनता है उसका विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। विवादित आराजी बाबत् पंजीकृत दान–पत्र अपीलांट के पक्ष में किया गया है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में यह बिन्दू महत्वपूर्ण है कि विवादित आराजी पर कब्जा काश्त किसका है ?, बिना जॉच किये विचारण न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना विधि सम्मत नही था। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि विवादित भूमि पर कब्जे सम्बन्धि रिपोर्ट प्राप्त कर एवं उभय पक्षकारान को जवाब/ सुनवाई का सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः आदेश पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 27.08.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम पर तीनो बिन्दुओ क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः आदेश पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.9.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर